


Chhattisgarh, Board of Secondary Education

RAIPUR



ACCOUNTS LEDGER

For the Practical Examination

Year of Examination 20.....

High School / HSS/ Vocational/ D.L. Ed.

Regular/Pvt. Student Practical Examination 20.....

School Code No.:

Name of School :

Name of Principal :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / वित्त / 20

दिनांक :

प्रति,
प्राचार्य,

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (छ.ग.)

विषय : प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 20 के परीक्षकों को मण्डल द्वारा स्वीकृत अग्रिम धन में से स्थल पर भुगतान।
आगामी माह आपकी संस्था में आयोजित होने वाली मण्डल की प्रायोगिक परीक्षा 20 के परीक्षकों को उनके पारिश्रमिक टी.ए. / डी.ए. के लिये स्थल पर ही भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आपकी ओर अग्रिम राशि रुपये शब्दों में का चेक क्रमांक दिनांक द्वारा साथ भेजी जा रही है। मण्डल के नियमानुसार आपको इस राशि में प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक परीक्षक को निम्नानुसार भुगतान करना है :-

01. 10 + 2 हायर सेकेण्डरी एवं व्यावसायिक प्रायोगिक परीक्षा में आपकी संस्था पर विषयवार प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय में एक आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक होंगे, जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में प्रति छात्र रुपये 4/- की दर से तथा न्यूनतम रुपये 100/- का भुगतान किया जाना है तथा विज्ञान समूह के विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिए विज्ञान सहायक शिक्षकों को 00.00 प्रति छात्र की दर से न्यूनतम रुपये 50.00 भुगतान किया जाना है।
02. हाई स्कूल विज्ञान प्रायोगिक परीक्षकों को रुपये 3.00 रुपये प्रति छात्र की दर से तथा न्यूनतम 100.00 व सह-सहायक शिक्षक विभाग को पैसे 40 प्रति छात्र की दर से तथा न्यूनतम रुपये 50.00 भुगतान किया जावे।
03. सामान्यतः बाह्य परीक्षक संबंधित जिले से ही नियुक्त किये जाते हैं। अतः बाह्य परीक्षकों को यदि वह संबंधित जिले से नियुक्त है, यात्रा पर होने वाले कुल व्यय हेतु (आने-जाने को मिलाकर) वारतविक द्वितीय श्रेणी रेल अथवा बस किराया भुगतान किया जावे। इस हेतु बस के टिकट, रेल्वे के टिकट तथा अन्य कोई रसीद शिक्षक द्वारा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी संस्था पर कोई बाह्य परीक्षक जिले के बाहर से नियुक्त किया गया है, तो उसका भुगतान मण्डल से ही होगा। उनके देयक सामान्यतः नियमानुसार तैयार कराकर आपके द्वारा प्रमाणीकरण के उपरांत पृथक से मण्डल कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
04. प्रायोगिक परीक्षा के लिये परीक्षक को (स्थानीय परीक्षक को छोड़कर) रुपये 40.00 प्रति कार्य दिवस की दर से दैनिक भत्ता स्थल पर ही आपके द्वारा भुगतान किया जावे। इसमें शर्तें यह हैं कि यदि संस्था में 50 से अधिक छात्र हों, तो कम से कम 50 छात्रों की परीक्षा एक दिन में लेना अनिवार्य होगा। दैनिक यात्रा भत्ता रुपये 40.00 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जावे।
05. प्रायोगिक परीक्षा हेतु दी गई राशि केवल परीक्षकों / विज्ञान सहायक शिक्षकों के पारिश्रमिक देयकों का ही भुगतान करें, अन्य किसी मद में व्यय न करें। पारिश्रमिक एवं यात्रा देयक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय मान्य नहीं होगा।
06. उपरोक्त भुगतान हेतु निर्धारित देयकों के फार्म आपकी ओर पृथक से भेजे गये हैं, जो परीक्षकों को उपलब्ध कराये जाकर प्रस्तुत करने के उपरांत उनके प्रायोगिक परीक्षा के उक्तानुसार देय प्रायोगिक / टी.ए. दैनिक भत्ते को नियमानुसार भुगतान पर अग्रिम धन का हिसाब से इस कार्यालय द्वारा उत्तर प्रायोगिक परीक्षा के हिसाब हेतु भेजे गये निर्धारित लेजर में बनाकर परीक्षा तिथि के पन्द्रह दिवस के अन्दर मण्डल कार्यालय में भेजें तथा शेष राशि किराी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम से देय हो, इस हिसाब के साथ की वापिस करें।
07. अतिरिक्त अग्रिम धन पृथक से नहीं भेजा जावेगा। अधिक व्यय होने की दशा में अनपेड व्हाउचरों के साथ लेजर भेजें जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा पृथक से किया जावेगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

①

Instruction to the Principal

01. Complete account in respect of Examination are to be submitted in the Ledger, No. loose paper should be used as far as possible.
02. First two pages (1 & 2) are meant for use in the Board's Office the Principal are requested not to write anything on these pages Principal are required to fill pages 3 and 4 and column in no all detail information column.
03. All columns provided in this register should be Duly filled in, if information is to be furnished under a particular column the word (NIL) should be written in such column, in no case column or pages of this ledger should be left blank.
04. All expenditure has broadly been classified under the following main Head of Expenditure.
05. All Vouchers should be numbered with reference to the serial number pasted on the flaps provided at the end of the register serially head wise.
06. Unspent balance amount should be refunded through cross Bank Draft of any nationalized Bank payable to the Secretary, C. G. Board of Secondary Education, Raipur.
07. This register duly complete should be sent to the Finance Officer as mentioned below within 15 days from the date of Examination.
08. Necessary instruction for Expenditure have been given in enclosed letter. However minimize the expenditure.

RATES OF REMUNERATION

01. Practical Examiners
 - (i) For Higher Secondary and Vocational Practical Examination Rs. 4.00 Per Candidate and Minimum Rs. 100.00
 - (ii) For High School Rs. 3.00 Per Candidate and minimum Rs. 100.00
 - (iii) 3% T.W.F. must be deducted from remuneration Bill.
02. Science Assistant, Teachers
 - (i) For Hr. Sec. Phy, Bio, Pract. Exam. Paise 60 Per Candidate & minimum Rs. 50.00
 - (ii) For High School Paise 40 per student and minimum Rs. 50.00
03. Travelling Allowance to H.S. & H.S.S. Practical Examiner (For External only) as below : If appointed within the same District both way journey by Rail or Bus actual fair (Onwards & Return) will be payable to the practical examiner No. Bus ticket & any certificate etc. will be required in support of the journeys.
04. Daily Allowance to H.S.S. External Examiner :
 - (a) Per day Rs. 40.00

FINANCE OFFICER
Board of Secondary Education
Raipur

(2)

Note : Principal should not write anything on these pages. These are meant for use of Board Office Only.

(FOR OFFICE USE ONLY)
NOTES & ORDERS

Subject : Account for the regular student Practical Examination 201.....

School Code No.

1. Name of the School :
2. Name and Address of the Principal:
3. Number of candidates appeared in Practical Exam. :

4.	HEAD	Advance Rs.	Expenditure Rs.	Excess Exp. Rs.	Less Exp. Rs.	Unpaid Exp. Rs.	Remarks
	A. Remuneration to Practical Examination						
	B. Remuneration to Science Asstt.						
	C. Travelling Allowance						
	D. Daily Allowance						

5. DETAILS OF THE BALANCE RECEIVED IN BOARD'S OFFICE :

Received balance through B.D. No. / Date (Name of Bank)

..... for Rs. (in words)

Rupees

Vide Office B.D. Register S.No. Date

Signature of Dealing Asstt.
Receipt Section

Signature of S O
Receipt Section

(मण्डल कार्यालय के उपयोग हेतु)

Note & Orders

संस्था क्रमांक..... परीक्षा वर्ष.....

(1) कुल व्यय राशि

(2) अवशेष राशि वापसी

कुल समायोजित राशि योग (1 + 2)

(3) घटाया : अग्रिम राशि

(4) वसुली/अतिरिक्त भुगतान राशि

उपरोक्त विवरणानुसार नियमित/स्वाध्यायी प्रायोगिक परीक्षा संचालन

हेतु प्रदाय अग्रिम राशि रू०

के विरुद्ध कुल व्यय समायोजित राशि रू०

मान्य कर अतिरिक्त/अवशेष राशि रू०

भुगतान/वसुली किया जाना है।

अवलोकनार्थ/आदेशार्थ सादर प्रस्तुत।

(To be filled by the Principal)

I - GENERAL INFORMATION

1. Name of Examination :
2. School Code No. :
3. Name of School :
4. Name of the Principal (in Block Letters) :
5. Number of Candidates appeared in Pract. Exam.

DETAILS OF ADVANCE RECEIVED & EXPENDITURE

HEAD	Advance Rs.	Expenditure Rs.	Excess Exp. Rs.	Less Exp. Rs.	Unpaid Exp. Rs.	Remarks
A. Remuneration to Practical Examination						
B. Remuneration to Science Asstt.						
C. Travelling Allowance						
D. Daily Allowance						
TOTAL						
Advance	Rs.					
Expenditure	Rs.					
Excess / Balance	Rs.					
Remitted to Board	Rs.					

Details of Remittance Bank Draft No.

Name of Bank For Rs.

If Unpaid Name Payee Rs.

Signature of Principal with Seal

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

प्रायोगिक परीक्षा

यात्रा एवं पारिश्रमिक देयक वर्ष 20....

(जिले के जिले में ही नियुक्त परीक्षकों हेतु)

1. परीक्षा का नाम.....
2. संस्था का नाम (जहां प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न हुई).....
3. प्रायोगिक परीक्षा का विषय.....
4. प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने की तिथि/तिथियाँ.....
कुल दिवस.....
5. बाह्य परीक्षक का नाम (पद एवं पूर्ण पता).....
तहसील.....जिला.....
6. आंतरिक परीक्षक का नाम (पद एवं पूर्ण पता).....
तहसील.....जिला.....
7. स्थान सेस्थान तक(बाहर के परीक्षकों के लिए) यात्रा भत्ते का देय राशि
(स्थानीय परीक्षक छोड़कर) द्वितीय श्रेणी का रेल किराया बस का वास्तविक व्यय।
दैनिक भत्ता रु. 40/- प्रतिदिन के हिसाब से.....कुल रु.
(स्थानीय परीक्षकों को नहीं)
8. पारिश्रमिककुल छात्र संख्या.....
प्रति परीक्षार्थी.....रु.....प्रति परीक्षार्थी की दर से कुल राशि
रुपये.....
दिनांक.....हस्ताक्षर.....
प्रमाणितपरीक्षक का नाम.....
हस्ताक्षर प्राचार्य.....पूर्ण पता.....
उक्त देयक के कुल रूपये.....शब्दों में.....
(शब्दों में) नगद प्राप्त किये।

हस्ताक्षर परीक्षक

(सेवेन्यू स्टाम्प)

- दिनांक..... (रु. 5000/- से अधिक भुगतान की स्थिति में)
9. उक्त बिल का प्रमाणीकरण किया जाता है एवं कुल रूपये (शब्दों में).....
.....को मेरे द्वारा भुगतान किया गया जो सही है।

संस्था के प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं
केन्द्र मुद्रा

दिनांक.....

पारिश्रमिक दरें

1. हाई स्कूल परीक्षा (अधिकतम दो आंतरिक परीक्षक रहेंगे) रु 3/- प्रति छात्र की दर से प्रति परीक्षक को यदि दो आंतरिक एवं एक बाह्य परीक्षक को रु. 3/- प्रति छात्र के हिसाब से अलग-अलग भुगतान होगा। छात्र संख्या न्यूनतम होने पर रु. 100/- प्रति परीक्षक को भुगतान किया जाना है।
2. हायर सेकण्डरी परीक्षा रु. 4/- प्रति छात्र की दर से आंतरिक परीक्षक तथा बाह्य परीक्षक को अलग-अलग भुगतान किया जाना है। छात्र संख्या न्यूनतम होने पर रु. 100/- न्यूनतम भुगतान किया जाना है।
3. विज्ञान सहायक शिक्षक हाई स्कूल में 40 पैसे प्रति छात्र।
हायर सेकण्डरी में 60 पैसे प्रति छात्र।
न्यूनतम रूपये 50/- (पचाय रूपये) भुगतान किया जावे।